



सीटू मजदूर

सी. आइ. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सी आइ टी यू कार्य समिति की शिमला बैठक का आह्वान

पूँजीवादी हमलों का सामना करने के लिये श्रमिक वर्ग को एकजुट करो

सी आइ टी यू के कोची महाधिवेशन में निर्वाचित कार्य समिति की पहली और चार दिवसीय बैठक 25 से, 28 अक्टूबर, 1997 तक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सम्पन्न हुई।

इससे पूर्व 24-10-1997 को नयी दिल्ली में पूर्ण सचिव मण्डल की बैठक हुई।

सी आइ टी यू की हिमाचल प्रदेश राज्य समिति की ओर से 25 अक्टूबर को सार्वत्रिक समग्र जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों श्रमिकों ने भाग लिया। सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई. बालानन्दन, महासचिव कामरेड एम के पंधे तथा अन्य नेताओं ने जनसभा को सम्बोधित किया। सम्बोधित करने वालों में हिमाचल प्रदेश सी आइ टी यू के नेता भी सम्मिलित थे।

कामरेड ई. बालानन्दन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संक्षेप में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों पर प्रकाश डाला (उनका भाषण 'सीटू मजदूर' के इसी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है)।

कामरेड एम के पंधे ने महासचिव की रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा की और कोची महाधिवेशन के पश्चात् पिछले पांच मास की अवधि में सी आइ टी यू की गतिविधियों की समीक्षा की। रिपोर्ट के प्रमुख अंशों को विस्तार में इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

कार्य समिति ने राज्य समितियों, सम्बद्ध श्रमिक संघों तथा देश भर के साथियों को आह्वान किया कि वे श्रमिक वर्ग को एकजुट करें और पूँजीपति वर्ग तथा सरकार के हमलों का प्रतिकार करने के लिये एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करें।

तात्कालिक कार्रवाई की कार्य सूची में सब से ऊपर अधोलिखित अभियानों तथा संघर्षों को सम्मिलित किया गया है।

* उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर के श्रमिकों की एक दिवसीय हड़ताल। यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों इकाईयों को पुनर्जीवित करने की मांग के लिये की जाएगी। एफ सी आई/एच एफ सी

के पुनरुद्धार हेतु संयुक्त मंच की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है। सी पी एस टी यू ने हड़ताल का समर्थन करने तथा इस सम्बन्ध में एकजुटता कार्रवाईयां करने का निश्चय किया है।

* भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखते हुए 9 दिसम्बर, 1997 को संसद के समक्ष जबरदस्त धरना दिया जाएगा। इसके लिये सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों; औद्योगिक महासंघों; किसानों, खेत मजदूरों, युवाओं, महिलाओं तथा छात्रों के संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से आह्वान किया गया है।

* नयी दिल्ली में 15 दिसम्बर, 1997 को खेत मजदूरों पर एक विधेयक लाने के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन सी आइ टी यू, एटक, एच एम एस तथा बी एम एस द्वारा अन्य संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उसी दिन एक शक्तिशाली जन प्रदर्शन का आयोजन करके संयुक्त मोर्चा सरकार से तत्काल विधेयक लाने की मांग की जाएगी।

* पेंशन सम्बन्धी सरकार की धोखादेही वाली योजना के विरुद्ध 17 दिसम्बर, 1997 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी और सेवा निवृत्ति के तीसरे लाभ के रूप में पेंशन देने की मांग की जाएगी। सी आइ टी यू, यू टी यू सी, यू टी यू सी (लेनिन सारणी) तथा ऐक्टू ने संयुक्त रूप से इस हड़ताल का आह्वान दो सितम्बर को संसद की ओर कूच कार्यक्रम के समय किया था।

* विद्युत कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की राष्ट्रीय संयुक्त समिति के संयुक्त तत्वाधान में विद्युत कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की ओर से 17-12-1997 को एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल की जाएगी।

इन कार्रवाईयों की तैयारियों के सम्बन्ध में सघन जन अभियान, जन सभाओं, सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन किया जाएगा ताकि श्रमिकों की विशाल सहभागिता को सुनिश्चित बनाया जा सके।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
कार्य समिति बैठक, शिमला
25-28 अक्टूबर, 1997

अध्यक्षीय भाषण

□ ई. बालानंदन

प्रिय साथियो,

हमारी कार्य समिति की यह बैठक 20-26 अप्रैल, 1997 को कोची में सम्पन्न सी आइ टी यू के नवम महाधिवेशन के पांच मास पश्चात् हो रही है। इस महाधिवेशन में आठवें महाधिवेशन के पश्चात् किये गए कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई थी; उसके साथ ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का लेखा-जोखा किया था और निकट भविष्य में किये जाने वाले आगामी कार्यों का निर्धारण किया गया था। इसलिये हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अवलोकन करने के साथ-साथ पिछले पांच महीनों में किये गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। महाधिवेशन की रिपोर्ट में इसका विवरण दिया गया है; मैं केवल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का वर्णन अपने अध्यक्षीय भाषण में करूंगा।

इस वर्ष पूरा राष्ट्र हमारी स्वतंत्रता के पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है। विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने का संघर्ष उस समय एक शक्तिशाली आंदोलन में परिणित हो गया था जब संघर्ष की विभिन्न धाराएं तथा स्वरूप एकरूप हो गए और साम्राज्यवादी शासक उसका सामना ही नहीं कर पाये। इस प्रकार 1947 में हमारा संघर्ष विजयी हुआ। देश के श्रमिक वर्ग ने भी जनता की अन्य श्रेणियों के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। कोई इस तथ्य को झुल्ला नहीं सकता। आइये, हम उन लोगों को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करें, उनका स्मरण करें जिन्होंने वीरता के साथ संघर्ष करते हुए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान कर दिया; मैं उन वीर पुरुषों एवं महिलाओं का स्मरण भी करता हूँ जिन्होंने सेना तथा पुलिस की गोलियों का सामना किया, जबरदस्त दमन चक्र को झेला था; आज वे लोग हमारे मध्य नहीं हैं जिन्होंने इस शानदार संघर्ष में भाग लिया था।

क्यूबा के लोकख्यात क्रांतिकारी नेता कामरेड छी ग्वेरा के बलिदान की 30वीं वर्षगांठ न केवल क्यूबा में अपितु भारत सहित विश्व के सभी देशों में मनाई जा रही है। सी आइ ए द्वारा प्रशिक्षित कमांडो ने 9 अक्टूबर, 1967 को जेलिविया के एक गांव हिंग्वेरा में उनकी हत्या कर दी थी। क्यूबा की क्रांति में कामरेड छी द्वारा दिये गए महान योगदान और क्यूबा के बाहर अन्याय तथा सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध किये गए संघर्ष ने उन्हें क्रांतिकारी कार्यवाहियों का प्रतीक पुरुष बना दिया था और वह एक

महान क्रांतिकारी नायक के रूप में विख्यात हुए। उनकी याद विश्व भर के क्रांतिकारियों के लिये प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वर्तमान में क्यूबा की जनता विकास के समाजवादी पथ पर अडिग रहने तथा अमरीकी साम्राज्यवाद दासत्व से स्वयं को स्वतंत्र रखने के लिये जबरदस्त संघर्ष कर रही है। कामरेड छी के सम्मान में देश के विभिन्न भागों में समारोहों का आयोजन किया जा रहा है; हमें उत्साहपूर्वक उनमें भाग लेना चाहिए; इस पर विशेष रूप से बल देने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह मांग भी करनी चाहिए कि अमरीका समाजवादी क्यूबा के विरुद्ध अपनी नाकाबंदी समाप्त करे और क्यूबाई सीमा के भीतर सशस्त्र गिरोहों की घुसपैठ कराना बंद करे।

तनाव बढ़ रहा है

क्लिंटन प्रशासन इराक की वायु, स्थल तथा सामुद्रिक नाकाबंदी को निरंतर जारी रख रहा है। वह इराकी जनता का दमन करके उनकी सरकार का तख्ता पलट देने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में अमरीका के लड़ाकू विमान तथा युद्ध पोत खाड़ी क्षेत्र में भेजे गए। बहाना था इराकी सेनाएं दक्षिण भागों में "युद्ध रहित क्षेत्र" का उल्लंघन कर रही हैं। इससे क्षेत्र में अमरीका की सैनिक उपस्थिति बढ़ गई है और वहां तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। ईरान सरकार ने अमरीकी सेनाओं को वापस बुलाने की मांग की है ताकि इन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थिति को बहाल किया जा सके। उसने चेतावनी दी है कि अमरीकी सेनाओं द्वारा की गई किसी भी सैनिक कार्यवाही का ईरानी सेना मुहंतोड़ प्रत्युत्तर देगी। इराक सरकार ने भी अमरीकी धमकी का करारा उत्तर दिया है और "इराकी उल्लंघन" के अमरीकी बहाने को गलत करार दिया है। वे इरानी घटनाओं से अधिक चिंतित हैं; यह एक तथ्य है।

ईरान सरकार और फ्रांस, रूस एवं मलेशिया के मध्य 20 लाख ईरानी गैस क्षेत्रों के विकास हेतु अनुबंध हुआ है; इससे अमरीका क्रोध हो गया है; वह मांग करने लगा है कि फ्रांसिसी तथा अन्य कम्पनियों को ईरान के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अमरीका के अनुसार इससे आतंकवाद को सहायता मिलती है। अमरीका ईरान के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार करने वाली विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक

कार्रवाई करने के उद्देश्य से "लीबिया तथा ईरान प्रतिबंध अधिनियम" (डी अमाटो कानून) के अन्तर्गत प्रतिबंध लगाने की धमकियां दे रहा है। अमरीका में यह अधिनियम पिछले वर्ष पारित किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोप पर ईरान के सम्बन्ध में अमरीकी नीतियों का अनुसरण करने के लिए दबाव डालना था। यहां हम देखते हैं कि बर्टन कानून जैसे अधिनियम का उपयोग क्यूबा की नाकाबंदी करने के लिये किया जा रहा है, ईरान के साथ व्यापार करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध एक और अमरीकी कानून बनाया जा रहा है। फ्रांस अन्य यूरोपीय शक्तियों की सहायता प्राप्त करके अमरीका को अलग-थलग करने पर तुला हुआ है।

यूरोपीय शक्तियां सामान्यतया अमरीका के इस "डी अमाटो कानून" का प्रतिकार करती हैं। वस्तुतः यह कानून उन कम्पनियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का निदेश देता है जो ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में दो करोड़ डालर से अधिक राशि का वार्षिक निवेश करती हैं। फ्रांस ने खाड़ी क्षेत्र में अमरीका को इस नीति जिसे "दोहरा नियंत्रण" कहा जाता है और जिसके अन्तर्गत ईरान तथा इराक की सरकारों के विरुद्ध वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए हैं, को चुनौती देने के मामले में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। फ्रांस कथित आतंकवादी गतिविधियों के नाम पर ईरान के विरुद्ध लागू किये गए अमरीका के एक पक्षीय प्रतिबंधों से सहमत नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इन प्रतिबंधों का कोई कानूनी आधार नहीं है।

इस क्षेत्र में तनावों को बढ़ावा देने के पीछे एक और निहितार्थ है। पिछले चुनावों के पश्चात् सत्ता में आई ईरान की नयी सरकार ने पिछली सरकार की पुरातनपंथी नीतियों के विरुद्ध उदार दृष्टिकोण अपनाया है और वह अरब देशों में एकता लाने तथा ईरान एवं इराक के मध्य व्याप्त तनाव समाप्त करने के लिये अपेक्षाकृत प्रगतिशील कदम उठा रही है। यदि ये प्रयास सफल एवं फलप्रद होते हैं तो इस क्षेत्र में अमरीका के सैनिक हस्तक्षेप का सम्पूर्ण अरब विश्व द्वारा एकजुट प्रतिकार किया जाएगा। इसका अर्थ तेल की दृष्टि से समृद्ध इस क्षेत्र में अमरीकी बर्चस्व की यथाशीघ्र समाप्ति। अमरीकी शस्त्रों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा। नये हमलों के पीछे यही लुका-छिपा कारण काम कर रहा है।

इस्राइल

अमरीकी सरकार वर्तमान में इस्राइली सरकार के अधिकारियों को फलिस्तीनी राज्य के गठन सम्बन्धी हस्ताक्षरित उस शांति समझौते का पालन नहीं करने के लिये उकसा रही है जिसमें स्वयं उसने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस समझौते के अन्तर्गत फलिस्तीनी स्वतंत्र राज्य को वर्ष 1999 में अस्तित्व में आना है। अमरीका इसे भी मूर्त रूप नहीं देना चाहता। पता चला है कि अमरीका ने उच्च स्तरीय बैठक जिसमें राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी भाग लिया था, में अपनी नीति में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस्राइल की इस मांग का समर्थन करने का निर्णय लिया है जिसमें श्री अराफात से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के नाम पर ओसलो समझौते का विरोध करने वाले फलिस्तीनियों के विरुद्ध

जबरदस्त हमला करने के लिये कहा गया है; यह उसकी मध्य पूर्व नीति में हुए परिवर्तन का एक भाग है। अराफात इस मांग के अनुसार आचरण करने से इन्कार कर रहे हैं, उन्होंने गाजा में फलिस्तीनी एकता सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में फलिस्तीनियों की मुक्ति के लिये लोकप्रिय मोर्चा (पापुलर फ्रंट) जैसी वाम पक्षीय शक्तियों और हमस तथा इस्लामी जहाद जैसे इस्लामी संगठनों ने भाग लिया था। इसलिये फलिस्तीनी जनता इस्राइल के हमलों का सामना करने के लिये तैयार है। आगामी दिनों में अमरीका तथा इस्राइल फलिस्तीनियों के विरुद्ध जबरदस्त धावा बोल देंगे, इसकी सम्भावनाएं दिखाई दे रही हैं।

नाटो

नाटो का विस्तार करने के मार्ग में नयी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अगले दशक में नाटो का विस्तार करने पर होने वाला खर्च 35 अरब डालर से अधिक बताया जाता है। अमरीका चाहता है कि नये प्रवेशार्थी तथा अन्य यूरोपीय शक्तियां इस खर्च के एक बड़े भाग को सहन करें; और उसका भाग 2 अरब डालर से अधिक नहीं होना चाहिए। यूरोपीय शक्तियां जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस तथा नीदरलैंड इस मामले में अमरीका के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही अमरीकी कांग्रेस का हठ है कि अमरीका इस बोझ को सहन नहीं कर सकता। अतः नाटो का विस्तार कार्यक्रम में अनेक कठिनाइयां आड़े आ रही हैं। फ्रांस की नयी सरकार ने भी यह रुख अपनाया है कि वह उस समय तक यूरोपीय कमांड में सम्मिलित नहीं होगी जब तक यूरोपीय संरचना में समान शक्तियों को सुनिश्चित बनाने के लिये समुचित प्रबंध नहीं किये जावें।

कांगो के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की धमकी

अमरीका के बड़े व्यावसायिक गृहों ने सोचा था कि नयी लॉरेंट काबिला सरकार कांगो की आर्थिक आंतरिक संरचना के पुनर्निर्माण हेतु पूंजी की तलाश में हैरान-पेशान हो जाएगी क्योंकि माबूतो सरकार की 30 वर्षीय सत्ता ने उसे बर्बाद करके रख दिया था और अमरीकी समझौते थे कि उस स्थिति में वे काबिला सरकार से अपनी शर्तें मन्वा सकेंगे। उन्हें यह आशा भी थी कि नयी सरकार राज्य के स्वायत्त वाली खनन कम्पनी जेकैमिनीज सहित सभी व्यावसायिक गृहों का निजीकरण कर देगी। इस लिये वहां विशाल स्तर पर हत्याएं होने पर भी अमरीका ने उसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला बनाने से संकोच किया।

किन्तु उन्हें आश्चर्यजनक संकेत मिलने लगे। इन संकेतों से पता चला कि राष्ट्रपति काबिला पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों विशेष रूप से अमरीका द्वारा दबाव डाले जाने पर भी अपने देश के आंतरिक मामलों में कुछ सीमा तक आत्म निर्णय के अधिकार तथा कुछ स्वतंत्रता का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति काबिला ने यह रुख अपनाया है कि पूर्वगामी माबूतो सरकार द्वारा साम्राज्यवादी बैंकों से लिये गए 14 अरब डालर के ऋण के मामले में उसे उत्तरदायी करार नहीं दिया जा

सकता। बैंक सरकार को नये ऋणों का भुगतान रोक कर इसका प्रतिरोध कर रहे हैं।

काबिला ने अपना पक्ष शेष अफ्रीकी देशों के समक्ष प्रस्तुत किया है और अनेक अफ्रीकी नेताओं ने कांगो का पुनर्निर्माण करने के लिये बिना शर्त अत्यावधि के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। ये नेता युगांडा, रवांडा, जिम्बावे, जाम्बिया, नाम्बिया, मोजाम्बीक, एरिट्रिया तथा केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। काबिला ने दखिनी अफ्रीका के निकट सम्बन्धों की स्थापना तथा आर्थिक सहयोग के लिये वहाँ जाकर राष्ट्रपति नेलसन मंडेला के साथ भेंट की थी। इस प्रकार की एकजुटता माबूतो को सत्ताच्युत करने में राष्ट्रपति काबिला द्वारा निभाई गई भूमिका के लिये न केवल कांगो के बाहर समग्र रूप से अफ्रीकी जनता अपितु कांगों वासियों की वाहवाही लूट रही है क्योंकि माबूतो की सत्ता ने कांगों वासियों का दरिद्रीकरण कर दिया था। माबूतो के पतन पर अफ्रीका तथा पूरे विश्व में खुशियाँ बनाई गई थीं।

किन्तु अब कांगों की नयी वास्तविकताओं को देखकर अमरीकी सरकार की नौद खुल चुकी है; इसलिये वह कांगो में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को लेकर गला फाड़ कर चिल्लाने लगी है और कांगो में हस्तक्षेप करने के लिये संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करने का प्रयास कर रही है किन्तु उसके राष्ट्रपति यह कह कर इसका विरोध कर रहे हैं कि यह कार्रवाई उनको सरकार द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियों में ही की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख महासचिव कौफी हन्नान भी इसके लिये सहमत नहीं हो रहे; किन्तु वह कांगो के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने की धमकी अवश्य दे रहे हैं। 1960 के दशक में किस प्रकार अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों ने लुमुम्बा सरकार को कुचल डाला था और उसके लिये उन्होंने किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का उपयोग किया था, उसे कोई भी भुला नहीं सकता। उन्होंने लुमुम्बा को हत्या कर दी थी और उनके स्थान पर कुख्यात माबूतो को सत्तासीन किया था। अमरीका तथा साम्राज्यवादी शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र की दण्डात्मक कार्रवाईयों की धमकी देकर कांगो में एक बार पुनः वही वर्षा पुराना रक्तरेजित नाटक दोहराने का स्वप्न देख रही हैं। परिस्थितियों में एक अन्तर अवश्य है; आज अफ्रीकी राष्ट्रवाद कहीं अधिक मुखर हो चुका है और दशकों पुराना नाटक सहज में ही खेला नहीं जा सकता।

बोसनिया

बोसनिया में अमरीकी सेना तथा अमरीका के नेतृत्व में नाटो के सैन्य बलों ने सरबियाई जनता के विरुद्ध अपना चक्र और तेज कर दिया है। बोसनिया में से अमरीका के सैन्य बलों को वापस बुलाने के लिये जून 1998 की तिथि निर्धारित की है किन्तु बोसनिया में क्योंकि टकराव पूर्ण स्थिति नियंत्रण में नहीं है, इसलिए इस समय सीमा का पालन सम्भव प्रतीत नहीं होता। ऊपर बताया जा चुका है कि बोसनिया में नाटो के अन्तर्गत तैनात शांति रक्षक बल जनता का जबरदस्त दमन कर रहे हैं; जनता के

सभी मूल अधिकारों की ध्वजियाँ उड़ाई जा रही हैं; अमरीका सैन्य बलों की ओर से दो सप्ताह तक बमबारी अभियान चलाया गया जिसके चलते बोसनिया के एक बड़े भाग का विध्वंस हुआ, यह बमबारी सैन्य तथा नागरिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर की गई थी। इस पर भी बोसनिया में शांति की स्थापना मृग तृष्णा बनी हुई है। बोसनिया अभियान में नाटो का बढ़ता चला जा रहा खर्चा अमरीकी कांग्रेस में भी असंतोष की ज्वाला को भड़का रहा है, अमरीका की मानवीय क्षति की बात तो जाने ही दीजिये। तथापि, जनगण के विरुद्ध अमरीकी सैन्य शक्ति का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है और बोसनिया की समस्या का कोई समाधान भी होगा, इसकी सम्भावनाएं अभी दिखाई नहीं दे रही।

विश्व अर्थ व्यवस्था

हमने नवम महाविश्वेशन में विश्व अर्थ व्यवस्था में घटित घटनाओं अर्थात् निम्नतर विकास, विकास के मामले में असमानताएं, बढ़ती ही चली जा रही बेरोजगारी तथा दरिद्रता को रेखांकित किया था। इन्हें वर्तमान अर्थ व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कहा जा सकता है। हमने विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए चक्रे समाचारों तथा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सांख्यिकीय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर इन लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया था। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाट) की ओर से हाल ही में, अर्थात् पिछले मास (1997 में) प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में भी एक बार पुनः इसी रुख का वर्णन किया गया है। उसने न केवल उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की है अपितु यह दर्शने के लिये कि तथाकथित भूगण्डलीयकरण तथा उदारीकरण की नीति से स्वयंमेव मानवीय समृद्धि का अंत नहीं हो जाएगा, नये आंकड़े भी दिये हैं। इसके विपरीत इसका परिणाम मानवीय प्रगति के विपक्ष के रूप में निकला है। रिपोर्ट में कहा गया है, “समृद्ध जन सर्वत्र लाभ में रहे हैं और यह लाभ केवल समाज के दरिद्र जनों की तुलना में ही अधिक नहीं हुआ; इसके लिये और भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके चलते मध्यम वर्ग की स्थिति भी ‘खोखली’ हुई है और अनेक विकासशील एवं विकसित देशों में आय के वितरण के मामले में यह एक स्थायी लक्षण बन चुका है।” रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि “वित्त उद्योग तथा वार्षिकी भोगी निवेशक पर अधिमान प्राप्त करता चला जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप नया पूंजी निवेश करके सम्पत्ति अर्जित करने की अपेक्षा वर्तमान में विद्यमान परिसम्पत्तियों का व्यापार करना प्रायः अधिक लाभपद बना चुका है। व्याज की बढ़ती वसूली व्यापारिक आय को चट कर चुकी है; कार्पोरेट पुनर्गठन, श्रमिकों की छंटनी तथा वेतनमानों का गला घेंट देना वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों तथा उनके साथ-साथ विकासशील विश्व के एक भाग में सामान्य सी बात बन चुकी है।”

रिपोर्ट में “कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के वेतन में बढ़ रहे अन्तर पर भी प्रकाश डाला गया है। यह अन्तर एक भूगण्डलीय समस्या का रूप ले रहा है। आर्थिक विचारों में अधिक संयोग होने पर भी बढ़ी हुई

भूमण्डलीय प्रतिस्पर्धा स्वयंमेव तीव्र प्रगति एवं विकास नहीं लाती और न ही प्रगति एवं विकास स्वयंमेव असमानताओं को कम कर सकता है।"

ऐसा कोई आर्थिक कानून नहीं है जो स्वयंमेव विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं को उस स्थिति में यदि वे केवल मात्र अपने किवाड़ खोल देती हैं, विकसित देशों की आय के स्तरों की ओर अभिमुख कर दे। इसकी अपेक्षा विश्व के अनेक भागों में हाल ही के वर्षों में "बिग बैंग" रुख अपनाया गया है। अंकटाड ने विश्व अर्थ व्यवस्था में सावधानीपूर्वक चरणबद्ध ढंग से उदारीकरण लाने का अनुरोध किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने लगभग 3 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि की आनुपातिक दर निश्चित की है; यह दर 1950-1973 के "स्वर्णिम युग" में प्राप्त की गई दर की अपेक्षा 2 प्रतिशत नीचे है। इस प्रकार की अपेक्षाकृत संकोची दर न उत्तर के श्रम बाजार की समस्याओं का समाधान कर सकती है और न ही दक्षिण में दरिद्रता की समस्या को सुलझा सकती है। कुछेक हाथों में राष्ट्रीय आय के केन्द्रीकरण की वृद्धि के साथ-साथ उच्चतर निवेश तथा तीव्रतर विकास नहीं हो रहा।

रिपोर्ट में इस धारणा की आलोचना की गई है कि, "भूमण्डलीयकरण की शक्तियों का सामना करते हुए विकासशील विश्व के नीति निर्धारक सक्रियतापूर्वक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नरत रहने के अपने विकल्पों को शायद खो चुके हैं।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि "उनकी भूमिका पूर्व की भांति महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि प्रगति तथा आय का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे अर्जित किया जाए।"

इस रिपोर्ट में सभी प्रकार के आर्थिक नुस्खों का वर्णन किया गया है। इसकी और गहराई में जाकर समीक्षा की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट जिसमें उदारीकरण के अनुभवों का वर्णन किया गया है, में कहा गया है, "भूमण्डलीयकरण की विषमताएं एक ऐसे तथ्य हैं जिनसे पता चलता है कि अब तक विश्व अर्थव्यवस्था का उदारीकरण "एक पक्षीय" ढंग से हुआ है; इसके चलते कुछ क्षेत्रों के विरुद्ध पक्षपात करके विकासशील देश की विकास सम्भावनाएं पूर्वाग्रह से प्रसिद्ध हो सकती हैं जबकि वे क्षेत्र अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में पहुंच सकते थे।"

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि उत्तर में आर्थिक विकास की मंथर गति को विपरीत मोड़ नहीं दिया जाता तो विकासशील देशों की सहायता के भूमण्डलीय प्रयासों का परिणाम शून्य रहेगा। तीव्रतर प्रगति तथा पूर्ण रोजगार की नीतियों की ओर वापसी न केवल उत्तर में बेरोजगारी की उच्च दर तथा वेतन की बढ़ती असमानता जैसे दोमुंहे सपों अर्थात् बुराइयों को समाप्त कर देने की पूर्व शर्त है अपितु भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध जन आक्रोश के खतरे को दूर करने के लिये भी आवश्यक है जिनके चलते भूमण्डलीय आर्थिक अस्थिरता के लाभ खतरे में पड़ चुके हैं।"

अतः उन्हें राजनीतिक प्रतिक्रिया की चिन्ता है। इस सम्बन्ध में विश्व

आर्थिक मंच के प्रबंध निदेशक कलौडे समज ने हाल ही में कहा था, "यदि इस तीव्र प्रतिक्रिया एवं आक्रोश को दूर नहीं किया गया तो हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर भारी संकट में फंस जाएंगे।"

नया घटना क्रम

इस सामान्य निश्चलता जिसमें विकसित पूंजीवादी देश जकड़े हुए हैं, में असमान विकास हो रहा है; पहले इसकी कल्पना ही नहीं की गई थी। जापान तथा जर्मनी की कम्पायमान अर्थव्यवस्थाएं अभूतपूर्व संकट की चपेट में हैं, उनकी विकास दर कम हो रही है, इसके विपरीत बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है और उनकी मौद्रिक स्थिति खतरे में पड़ चुकी है। जहां ब्रिटेन तथा अमरीका की अर्थव्यवस्थाएं अतीत में बीमार थीं, उनमें थोड़ा सुधार हुआ है और बेरोजगारी की दर में कमी आ रही है। ओ.ई.सी.डी. देशों में उनके जी.डी.पी. की दर उच्चतर है और उनकी मुद्राओं की स्थिति भी सुदृढ़ है। इस संवृत्ति का कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील वित्तीय पूंजी के साथ जुड़ना है।

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देश जिन्हें तृतीय विश्व के देशों के लिये माडल माना जाता है और जिनकी विकास दर पिछले अनेक वर्षों से उल्लेखनीय सीमा तक शानदार रही है, भी अब गहरे संकट में फंसे हुए हैं। उनकी पूंजीगत उड़ानों के साथ-साथ नयी पूंजी का अन्तर्वाह क्षेत्र में कम हो रहा है और उनकी मौद्रिक स्थिति भी दुर्बल होती चली जा रही है। यह बात न केवल थाईलैंड, मलेशिया अपितु फिलीपीन्स के सम्बन्ध में सत्य है अपितु दक्षिण कोरिया की स्थिति भी कुछ इस प्रकार की ही है। दूसरे शब्दों में कुछ वर्ष पूर्व मैक्सिको के मामले में जो कुछ घटित हुआ था वही घटनाक्रम अब दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की "गतिशील" अर्थव्यवस्थाओं के मामले में भी दोहराया जाने लगा है।

दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की सफलता उनमें पूंजी के अन्तर्वाह तथा बहिर्वाह पर लगाए गए गुप्त अंकुश पर आधारित थी। इसे सर्वप्रथम राज्य के लिये सक्रिय भूमिका के माध्यम से और फिर वित्तीय हितों को निर्माता-व्यापारिक हितों के अधीन रखकर लागू किया गया। तथापि वर्तमान में ये लोग पूंजी के बहाव पर अपना नियंत्रण समाप्त कर रहे हैं जिसके चलते उनकी अर्थव्यवस्थाएं सट्टा पूंजी की गतिविधियों के घेरे में आ गई हैं। स्थानीय स्तर की विशिष्ट घटनाओं के साथ मिलकर यह मूलभूत तथ्य, व्यापार घाटे में पूंजी लगाने के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी की अनिच्छा इत्यादि के चलते पूर्वी एशियाई मुद्राओं पर दबाव की सी स्थिति बन गई है जिसका प्रत्युत्तर मुद्रा उपस्थिति की नीतियों को बढ़ावा देकर दिया गया और इसका प्रभाव उनकी विकास दरों पर भी पड़ा है। उन अर्थव्यवस्थाओं के मामले में क्या हुआ जिन्हें कुछ समय पूर्व तक विकास के "माडल" माना जाता था, वे दर्शाती हैं कि किसी अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय सट्टा पूंजी के लिये खोल देने का सार उदारीकरण की

आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रा की अपस्थिति के खतरे वाली निश्चलता और सम्प्रभुता का क्षरण होना है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक प्रत्यक्ष रूप में अथवा उदारीकरण समर्थक लाभी के माध्यम से अर्थात् दोनों रूपों में भारत में सक्रिय हैं। तथापि ये दोनों विश्व संस्थाएं भारत को उसी दिशा में ले जा रही हैं।

विश्व बैंक की वार्षिक बैठक

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक की सितम्बर के अंतिम सप्ताह में हांगकांग में सम्पन्न वार्षिक बैठक में लिये गए नवीनतम निर्णयों की रेखांकित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बैठक में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का विस्तार करने, भ्रष्टाचार तथा तृतीय विश्व के देशों के सुचारु संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को अर्थ व्यवस्थाओं तक सीमित रखा गया था। किन्तु वर्तमान में वे इन शर्तों की परिधि में विस्तार करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार तथा तृतीय विश्व के देशों के सुचारु संचालन के मुद्दों को उसमें जोड़ देना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वे अब तृतीय विश्व के देशों की सरकारों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेंगे जिसका दुष्प्रभाव इन देशों की सम्प्रभुता पर पड़े बिना नहीं रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही कोनिया में अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी है; उसके लिये भ्रष्टाचार को बहाना बनाया गया है और इसी कारण को आधार बना कर कांगो तथा नाइजीरिया के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले से निपटना सम्बन्धित सरकार का कर्तव्य है किन्तु अब इस दायित्व का बोझ भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने अपने कंधों पर उठा लिया है। इसलिये साम्राज्यवादी सामूहिकता के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसे उपकरण बन रहे हैं जिनका उपयोग करके वे स्वतंत्र राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और उनकी स्वतंत्रता का क्षरण करते हैं। इन दोनों संगठनों के विकास का यह एक नया चरण है।

थाईलैंड, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों ने शिकायत की है कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल अमरीका के निर्देशों पर ही काम करते हैं, ये दोनों संस्थाएं उनकी समुचित ढंग से सहायता नहीं करतीं। जापान ने दुरावस्था में एशियाई देशों की सहायता करने के लिये 100 अरब डालर का एक कोष बनाने का सुझाव दिया था किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने यह कह कर उसे सरसरी तौर पर रद्द कर दिया कि यह एक जोखिम भरा काम है। इसका अर्थ है— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक नहीं चाहते कि कोई स्वतंत्र आर्थिक अभिकरण एशियाई क्षेत्र के इन विकासशील देशों की सहायता करे। यद्यपि यह सुझाव देने के पीछे जापान का अपना हित जुड़ा हुआ था।

रोजगार का बदलता ढांचा

विकसित देशों में बेरोजगारी में वृद्धि जारी है। केवल ब्रिटेन तथा अमरीका में ही उसमें आंशिक कमी आई है क्योंकि वहां की अर्थ व्यवस्थाओं ने कुछ विकास किया है। उद्योगों में स्थायी प्रकृति के रोजगारों में जबरदस्त कटौती की जा रही है और उन स्थानों में अंशकालिक तथा अस्थायी श्रमिकों को भर्ती किया जा रहा है। अधिकाधिक अस्थायी रोजगारों का सृजन करके तथा अल्प वेतन पाने वाले श्रमिकों को भर्ती करके और उनसे अधिक से अधिक उत्पादन कार्य करा कर भारी भरकम लाभ अर्जित करना उद्योगों की एक नयी संरचना बन चुकी है। अमरीका में वर्ष 1993 के पश्चात् इस प्रकार के 2.20 करोड़ रोजगारों का सृजन किया जा चुका है। अमरीका में अंशकालिक श्रमिकों का अनुपात 18 प्रतिशत बताया जाता है जबकि यूरोपीय देशों में यह अनुपात बहुत अधिक है। फ्रांस में नयी नियुक्तियों में से 66 प्रतिशत पदों पर अस्थायी एवं संविदा श्रमिकों की नियुक्तियों की गई हैं और ये सभी नियुक्तियां पिछले एक वर्ष से भी कम समय में की गई हैं। स्पेन में इन श्रमिकों का अनुपात 90 प्रतिशत है अर्थात् केवल 10 प्रतिशत रोजगार स्थायी श्रमिकों को दिये गए। नीदरलैंड में यह अनुपात 37 प्रतिशत, जर्मनी में भी नये रोजगारों पर अस्थायी अंशकालिक श्रमिकों को रखा जा रहा है। सभी अस्थायी तथा अंशकालिक श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलता है और वे प्रबंधन की सद् इच्छा पर रोजगारों की संख्या कम कर रहे हैं।

इसके कारण उद्योगों में दो प्रकार की अर्थ व्यवस्था विकसित हो रही है। पुराने श्रमिक जो प्रभावी ढंग से पूर्णकालिक रोजगार पर लगे हुए हैं और युवा श्रमिक जिन्हें केवल एक वर्ष अथवा उससे भी कम अवधि के लिये रोजगार पर रखा जाता है और उसके पश्चात् उसे वहां जाने के बाध्य कर दिया जाता है जहां नया रोजगार शुरू हो रहा हो। फ्रांस में सभी रोजगारों के लगभग 11 प्रतिशत भाग और स्पेन में 30 प्रतिशत रोजगारों पर अस्थायी श्रमिकों की भर्ती की गई है। यह रुझान न्यूनाधिक सभी यूरोपीय देशों में पाया जाता है। प्रत्येक उद्योग में अच्छे वेतन लेने वाले स्थायी कर्मचारी और अल्पावधि के लिये अल्प वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों की श्रेणी होती है। इस श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग की एकता भंग हो जाती है और श्रमिक आंदोलन शिथिल पड़ जाता है। रोजगार के लचकीलेपन के नाम पर सभी वर्तमान श्रम कानूनों की धार को कुंद कर दिया गया है। जर्मनी तथा अन्य देशों में अर्थ व्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के नाम पर श्रमिकों के कामकाजी घण्टे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिये विभिन्न हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं।

श्रम शक्ति में कमी करने तथा वर्तमान प्रावधानों में कटौती किये जाने के विरोध में अनेक देशों में इसी अवधि में अनेक हड़तालें तथा संघर्ष की अनेक कार्रवाईयां की गई हैं। इन देशों में अमरीका भी सम्मिलित है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तथापि अमरीकी श्रमिकों के रुख में आं

कामकाजी महिलाएं

पिछले पांच महीनों में इस मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है। बिहार में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में 800 महिलाओं ने भाग लिया था। केरल में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति में नयी स्फूर्ति आई है और आंगनवाड़ी महिलाओं में पुनः काम होने लगा है। जिला सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। “वायस आफ वर्किंग विमैन” की बिक्री बढ़ा कर, 1,000 तक करने की योजना बनाई गई है। तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति जनवादी महिला समिति के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से काम कर रही है। उड़ीसा में एक सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव था। यह सम्मेलन दिसम्बर, 1997 तक स्थगित कर दिया गया है। त्रिपुरा में भी कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति ने काम करना शुरू कर दिया है।

दिल्ली में, बीमा उद्योग के साधियों ने बीमा क्षेत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। उस सम्मेलन में सी आई टी यू की ओर से नोएडा तथा गाजियाबाद में कामकाजी महिलाओं के मध्य कुछ काम किया गया है।

आंगनवाड़ी फेडरेशन के कार्य में सुधार आया है। वर्ष 1996 में उसकी सदस्य संख्या 60,000 थी और वर्ष 1997 के लिये एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सी आई टी यू के साथ सम्वद्ध फेडरेशन की इकायाँ अच्छा कार्य कर रही हैं। तमिलनाडु में उनकी यूनियन गवर्नमेंट इम्प्लॉय एग्रेसिएशन के साथ सम्वद्ध है। पंजाब तथा राजस्थान को इस मोर्चे की निरपेक्ष स्थिति को समाप्त करने के लिये प्रयास करना होगा। बिहार में नवादा में एक अच्छे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फेडरेशन का अखिल भारतीय सम्मेलन जो इस वर्ष होना था, को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विभिन्न प्रकार के संगठनों को मिला कर एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है। हमारी यूनियनों ने गम्भीरतापूर्वक समिति के आगान को कार्यरूप दिया है। “वायस आफ वर्किंग विमैन” की ओर से कोची सम्मेलन तथा स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर विशेष अंक निकाले गए। महिलाओं के साथ सम्वद्ध रखने वाले विभिन्न मुद्दों जिनमें कामकाजी स्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न, मुसलमान महिलाओं पर मसजिदों में नमाज पढ़ने के लिये लगे प्रतिबंध को तोड़ने, एयर इंडिया की परिचारिकाओं के संघर्ष और यूनाइटेड किंगडम में हिलंगटन अस्पताल के कर्मचारियों की दो वर्षों तक चली हड़ताल इत्यादि मुद्दे भी सम्मिलित हैं, पर पत्रिका में चर्चा की गई।

आगामी समय में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति ने अधोलिखित कार्य करने की योजना बनाई है: (क) भावी कार्रवाई का निर्धारण करने के लिये आंगनवाड़ी फेडरेशन तथा संयुक्त संघर्ष समिति की बैठकें बुलाना; (ख) आई एल ओ कर्मशाला के साथ—साथ समिति की बैठक आयोजित करना; (ग) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिये पहलकदमी करना।

(कार्य समिति की रिपोर्ट में से)

बड़े एवं संयुक्त संघर्षों की दिशा में

□ एम के पंधे

[सी आई टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे ने शिमला में 25-28 अक्टूबर, 1997 को आयोजित कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारत के आर्थिक परिदृश्य, सी आई टी यू की गतिधियों तथा उसके समक्ष मुंह बाएँ खड़ी चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा की थी। उन्होंने देश में श्रमिक वर्ग तथा सामान्य जन पर पूँजीवादी हमलों के विरुद्ध संघर्ष में प्रभावी ढंग से आंदोलन का नेतृत्व करने का आह्वान किया। यहाँ रिपोर्ट के प्रमुख अंशों का उल्लेख किया जाता है— सम्पादक]

मंदे की नयी स्थिति

नव उदारवाद के फलस्वरूप आर्थिक विकास और तीव्र गति से होगा; इस प्रकार के लम्बे-चौड़े दावे किये जाने पर भी भारतीय अर्थ व्यवस्था सर्वग्रासी भयानक मंदे की चपेट में आ रही है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास दर में भारी गिरावट आ रही है और या उत्पादन कम हो रहा है। उदाहरणार्थ वर्ष 1997-98 में अप्रैल तथा जून के मध्य औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक पिछले वर्ष के 9 प्रतिशत की तुलना में गिर कर 6.6 प्रतिशत तक पहुँच गया। पूँजीगत सामग्री के मामले में विकास दर पिछले वर्ष के 21 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 6.3 प्रतिशत तक पहुँच गई। मध्यवर्ती सामग्री के मामले में सूचक अंक में परिवर्तन हुआ है। वह पिछले दो वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र के मामले में वर्ष 1996-97 के मध्य 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु वर्ष 1997-98 के मध्य इसमें जबरदस्त गिरावट आई और यह मात्र 0.7 प्रतिशत रह गई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मामले में सूचक अंक पिछले वर्ष के 13 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 6.5 प्रतिशत रह गया। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के सम्बन्ध में विकास सूचक अंक 8.2 प्रतिशत से गिर कर 2.9 तक पहुँच गया। आटोमोबाइल उद्योग में गिरावट भारी यात्रा शुरू हो चुकी है और केवल एक मास में उत्पादन में 9.31 प्रतिशत की कमी हो गयी।

वित्तीय घाटे को कम करने की बातों का कोई परिणाम नहीं निकला है। अनुमान था कि 7 प्रतिशत की राष्ट्रीय विकास दर को सुनिश्चित बनाया जाएगा, वित्तीय घाटे में कटौती को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए था। तथापि, अनेक अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि इस वर्ष वित्तीय घाटा अधिक होगा; यह एक अपवाद होगा और वित्त मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वित्तीय घाटे को 5 प्रतिशत के मध्य रखा जाएगा। इस वर्ष आश्वासन के पूरा होने की सम्भावनाएँ दिखाई नहीं

दे रहीं। आर्थिक सुधारों के पहले वर्षों में वित्तीय घाटे को वर्ष 1991 के 8.3 प्रतिशत से कम करके वर्ष 1995-96 तक 5.5 प्रतिशत तक ले आया गया था। यह चमत्कार विकास गतिविधियों में भारी कमी करके ही किया जा सका था। तथापि, इस बात की प्रत्येक सम्भावना विद्यमान है कि यह वित्तीय घाटा एक बार पुनः उछल कर 1990-91 के स्तर पर पहुँच जाएगा। एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के आर विश्वनाथन के अनुसार, “प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पूर्ण निर्भरता अथवा विकास करने के लिये एक निश्चित सीमा से बाहर वित्तीय घाटे को बढ़ाने के फलस्वरूप एक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। यह संकट लगभग वैसा ही होगा जैसा 1990-91 में उत्पन्न हुआ था उससे भी खराब हो सकता है।

सी आई आई, एसोसिएट तथा फिक्की ने अनुमान लगाया था कि औद्योगिक प्रगति वर्ष 1996-97 के 6.5 प्रतिशत की तुलना में गिरकर वर्ष 1997-98 में 5 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। जब वित्तमंत्री ने इस वर्ष का बजट संसद में प्रस्तुत किया था, उन्होंने लम्बा-चौड़ा दावा किया था कि औद्योगिक गृहों को 10,000 करोड़ रुपये तक कर्जों में छूट देने के परिणामस्वरूप आर्थिक प्रगति तीव्रतर होगी। तथापि, वर्तमान वर्ष का अनुभव स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार की ओर से कर्जों में दी गई छूटों का उपयोग भारतीय उद्योगपतियों ने निवेश में वृद्धि करने के लिये नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप उनका लाभ उद्योगपतियों ने अपनी जेब में डाल लिया और स्वदेशी उद्योग की प्रगति में उसे पुनः लगाने की आवश्यकता उन्होंने अनुभव ही नहीं की।

जहाँ देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में विदेशी सहायता का अन्तर्वाह कम हो गया है। सरकारी स्तर पर कुल विदेशी सहायता जो अप्रैल 1996 में 553 करोड़ रुपये थी, अप्रैल 1997 में कम होकर 358 करोड़ रुपये रह गई, जो केवल एक वर्ष में 33.30 प्रतिशत की तीखी गिरावट की ओर संकेत करती है।

द सेंटर पुर मानिटरिंग इंडियन इकानोमी में 1724 कार्पोरेट कम्पनियों सम्बन्धी अपनी अध्ययन रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय कम्पनियों की विशाल बहुसंख्या के कार्य प्रदर्शन में जबदस्त गिरावट आई है। यद्यपि कार्पोरेट क्षेत्र में कर सम्पात् 1991-92 में 32 प्रतिशत था; वह 1994-95 में कम होकर 16 प्रतिशत रह गया। इस पर भी 1996-97 में उद्योग का लाभार्जन 10.6 प्रतिशत तक कम हो गया। कार्य प्रदर्शन में इस गिरावट का प्रधान कारण जनता की क्रय शक्ति में कमी आने को बताया जाता है। विदेशी औद्योगिक निवेशकों का निवेश

जो वर्ष 1992 के आरम्भ में 297.6 मिलियन अमरीकी डालर था, जून 1997 में गिर कर 13604 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। यद्यपि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार सुविधाएं दी हैं जिसमें विदेशी निवेशकों की बहुसंख्या भागीदारी भी सम्मिलित है, तथापि विदेशी निवेश उतना नहीं हो रहा जिसकी अपेक्षा सरकारी प्रवक्ता ने की थी।

निर्यात की स्थिति भी गिरावट की ओर अग्रसर है और अप्रैल-मई 1997 के मध्य निर्यात की मात्रा के मामले में देश को नकारात्मक वृद्धि के रङ्गान को झेलना पड़ा था। यह रङ्गान बाद की अवधि में भी अपने पूरे वेग के साथ जारी रहा। वर्तमान वर्ष के लिये 40 अरब अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विशेषज्ञों के विचारानुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है। निर्यातों में यह कमी और आयात बिल में वृद्धि के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में और घाटा होने की सम्भावना है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) की ओर से लगाए गए नवीनतम द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष और वह 6.7 प्रतिशत रह गई जबकि उससे पिछले वर्ष यही दर 11.9 प्रतिशत थी। बिजली तथा खनन जिनहोंने पिछले वर्ष क्रमवार केवल 3.8 प्रतिशत तथा 1.2 प्रतिशत विकास किया था, से पता चलता है कि देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है।

देश पर बढ़ता ऋण बोझ

भारत सरकार की देश के भीतर तथा देश के बाहर से प्राप्त ऋणों पर बढ़ती निर्भरता ने सरकार पर ऋणों की देनदारी का बोझ बढ़ा दिया है। सरकारी आय का एक बड़ा भाग ऋणों के पुनर्भुगतान पर खर्च हो जाता है अथवा पिछले ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिये सरकार को और ऋण लेना पड़ता है। हाल ही के बजट दस्तावेज में नयी आर्थिक नीति शुरू होने से बाद की अवधि में बढ़ रहे ऋण बोझ के आंकड़े दिये गए हैं।

वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ऋण सम्बन्धी मिली जुली देनदारी 3,19,433 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1997-98 में यह देनदारी बढ़ कर 7,98,028 करोड़ रुपये हो जाएगी। यह वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 54.9 प्रतिशत भाग है।

बाहरी ऋण भी इस अवधि में बढ़ा है। भारत का बाहरी ऋण जो वर्ष 1991-92 में 2,52,916 करोड़ रुपये (85,285 मिलियन डालर) था, बढ़ कर 3,26,457 रुपये (90,852 मिलियन डालर) तक पहुँच गया है। इसके दुष्परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भारी क्षरण हो रहा है। बाहरी ऋण से सम्बन्धित भारत की पुनर्भुगतान की देनदारी की दर तीव्रगति से बढ़ रही है और रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है। इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ और भी बढ़ गया है। वर्ष 1990-91 में ऋण सेवाओं सम्बन्धी भुगतान 8,982 मिलियन डालर के लगभग था

जो वर्ष 1996-97 में बढ़कर 14,140 मिलियन डालर तक पहुँच गया है।

अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित आय के 50 प्रतिशत से अधिक भाग का उपयोग ऋण सेवाओं के लिये किया जाता है। इसके चलते विकास गतिविधियों के लिये बहुत कम धन शेष रह जाता है।

सरकार का आंतरिक ऋण भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। ऐसा सरकार की ओर से अपना वित्तीय घाटा बाजार से ऋण लेकर दूर करने के लिये किये जा रहे प्रयासों के चलते हुआ है। सरकारी इस उद्देश्य के लिये जनता की लघु बचतों का उपयोग भी कर रही है। ग्रामिकों के भविष्य निधि के संचित धन का केन्द्रीय सरकार ब्याज की कम दरों का भुगतान करके उपयोग करती है ताकि वह अपने वित्तीय घाटे को दूर कर सके। देश के वित्तीय घाटे के 3.7 प्रतिशत भाग को विदेशी धन उधार में लेकर पूरा किया जाता है। वर्ष 1997-98 के लिए बजट में वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिये 65,454 करोड़ रुपये देश तथा विदेश से ऋण लेकर जुआने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के गैर विकास कार्यों पर खर्च तेजी से साथ बढ़ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप विकास खर्चों का अनुपात नीचे चला गया है। वर्ष 1990-91 के मध्य सरकार के विकास खर्च कुल खर्चों का 54.3 प्रतिशत भाग थे किन्तु 1997-98 के वार्षिक बजट के अनुसार विकास पर होने वाले खर्चों का भाग कम होकर 45-2 प्रतिशत रह गया है। अतः गैर विकास कार्यों पर खर्च वर्ष 1990-91 के 45.7 प्रतिशत भाग से बढ़कर वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में 54.8 प्रतिशत हो गए। भारत सरकार का नीतिगत निर्णय विकास परियोजनाओं पर और अधिक धन नहीं लगाने का है। इसका परिणाम अर्थव्यवस्था की निरचलता के रूप में निकला है।

यद्यपि पिछले तीन वर्षों में विदेश व्यापार बढ़ा है और हम निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यापार का संतुलन भारत के अनुकूल नहीं रहा।

वर्ष 1997-98 के मध्य स्थिति और अधिक शोचनीय हो जाएगी, इसकी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार के व्यापार संतुलन के चलते भारत को विदेशी ऋण पर और अधिक निर्भर करना पड़ेगा अथवा रुपये का अवमूल्यन करना होगा। भारत के निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत भाग कृषि तथा उससे सम्बन्धित उत्पादों (23.9 प्रतिशत), खनिजों (3.5 प्रतिशत), चमड़ा तथा चर्म उत्पादों (4.7 प्रतिशत) कपड़े के धागों, सूती धागों, सिले-सिलाए वस्त्रों इत्यादि (17.1 प्रतिशत) पर आधारित है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में विकास की गति मंद हुई है जबकि विकसित देश भारतीय निर्यातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

की नीति को त्याग दिया है; उसके आयात बिल जो वर्ष 1994-95 में 18,613 करोड़ रुपये था वर्ष 1996-97 में बढ़कर 35,737 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी प्रकार सरकार ने उर्वरक उद्योग को बीमार बना दिया है और वह प्रति वर्ष उर्वरकों के आयात पर 3000 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर रही है। आयातों के उदारीकरण के नाम पर देश में हजारों करोड़ रुपये की वस्तुओं का प्रति वर्ष आयात किया जाता है और यह काम स्वदेशी उत्पादकों के लिये बाजार को संकुचित करके किया जा रहा है। मशीनों के उपकरण, इस्पात, कोयला, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उद्योग सीमा शुल्क में कमी होने तथा इन उत्पादों के आयात की अनुमति दे दिये जाने के कारण गम्भीर संकट में फंस चुके हैं विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस सम्बन्ध में डम्पिंग जैसी कार्रवाईयां कर रही हैं अर्थात् अपने उत्पादों की बाढ़ वे हमारे देश में ला रही हैं।

व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने पर भी देश के विदेशी मुद्रा के भण्डार में पर्याप्त वृद्धि दिखाई देती है। तथापि इसे प्रगति का लक्षण नहीं माना जा सकता। वित्त मंत्री ने कभी भी भारत के विदेशी मुद्रा के भण्डार की स्थिति को आरामदेह बनाने का प्रयास नहीं किया है। यह स्थिति बहुधा भारी व्यापारिक ऋण लेने के कारण उत्पन्न हुई है, विदेशी कम्पनियों के सट्टा शेयर बाजार में प्रवेश करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के चलते उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार विदेशी वित्तीय संस्थानों का भी भारतीय बाजार में अनुप्रवेश हो रहा है। इससे वास्तव में ही भारत की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर बढ़ रही निर्भरता का संकेत मिलता है जो मंद आर्थिक विकास और यहां तक कि अर्थ व्यवस्था में मंदे की स्थिति के लिये उत्तरदायी है। वित्त मंत्री द्वारा समय-समय पर आश्वासन दिया जाता है कि मंदे का रूझान अल्प कालिक होगा तथापि प्राप्य संकेत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि बढ़ती निश्चलता तथा मंद एक दीर्घकालिक संवृत्ति है

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अधिकाधिक लाभ उठा रही हैं

सरकार की ओर से दी गई छुट्टी ने भारतीय कम्पनियों के मूल्य पर अनिवार्य रूप से विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाया है। इकनामिक टाइम्स के अनुसार वर्ष 1996 में 91 कम्पनियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया था। उनमें से 36 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां थीं। यह रहस्योद्घाटन 15 मई 1997 को किया गया था।

“लाभकारिता की समग्र रूप में खराब स्थिति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अतिरिक्त दूसरी कम्पनियों को काम करने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।”

“जहां 36 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 23 प्रतिशत शुद्ध लाभ की वृद्धि का रिकार्ड बनाया और पिछले वर्ष की तुलना में उनकी बिक्री में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई है वहीं 55 भारतीय कम्पनियों के शुद्ध लाभ में 57 प्रतिशत

की गिरावट आई। यद्यपि उनकी बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।”

“यहां पर रेखांकित करना अनिवार्य सूचक होगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सामूहिक कार्य प्रदर्शन का बढ़ा बोझ हमारी समग्र वित्तीय व्यवस्था पर पड़ रहा है क्योंकि वे आनुपातिक आय का लगभग 77 प्रतिशत भाग उन्हीं के पास आता है और 86 प्रतिशत आनुपातिक शुद्ध लाभ इसकी एक उदाहरण है।”

हिन्दुस्तान लीवर ने वर्ष 1996 में 413 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि पौडस इंडिया, रेकित तथा कोलमैन जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बिक्री में 85 प्रतिशत और उसी वर्ष उनके शुद्ध लाभ में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए बी बी, बाटा इंडिया, कास्टोल, नेल फर्मा तथा फिलिप्स इंडिया ने भी अपने-अपने लाभ में पर्याप्त वृद्धि की है।

लघु उद्योगों को समाप्त करने का पड़यंत्र

उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योगों को संरक्षण धीरे-धीरे समाप्त करने की संस्तुति दी है। इसके दृष्टिकोण सम्पूर्ण क्षेत्र का विनियमीकरण कर दिया जाएगा। आबिद हुसैन समिति की संस्तुतियों ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक गृहों के अनुप्रवेश के लिये हद इण्टी दिखा दी है। इससे अंततोगत्वा उद्योगों का सम्पूर्ण लघु क्षेत्र बर्बाद होकर रह जाएगा।

लघु उद्योगों का क्षेत्र हमारे रोजगार तथा निर्यातों के 30 प्रतिशत पर आधारित है। थोड़ी पूंजी उपलब्ध होने पर यह क्षेत्र देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर राष्ट्र अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां स्वदेशी बाजार को हस्तगत करने की अपनी इच्छा को लेकर इस क्षेत्र के बाजार में प्रवेश कर रही हैं और अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। आबिद हुसैन समिति ने तो केवल डाटिड लाइनों पर ही हस्ताक्षर किये हैं और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी हमारे केश में ऐसा ही कुछ चाहते हैं।

इसी मध्य वाणिज्य मंत्रालय ने श्री टी एस विजयराघवन के नेतृत्व में एक और समिति का गठन किया था और उसका गठन भी उसी दिशा में हुआ था। उस समिति ने संस्तुति दी थी कि उद्योगों के लघु क्षेत्र के लिये आरक्षण तो जारी रखा जाए किन्तु इसके साथ ही उसने 91 वस्तुओं की सूची को खुला छोड़ देने की वकालत की और केवल 56 वस्तुओं को ही आरक्षित रखने पर बल दिया और वह भी कुछ संशोधनों के साथ।

किन्तु ये समितियां, उद्योगों के लघु क्षेत्र के हितों पर कुठाराघात कर रही हैं और भारत के इस क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक गृहों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अनुप्रवेश के लिये मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित संसदीय समिति जिसके अध्यक्ष अशोक मित्र थे, ने उद्योगों के लघु क्षेत्र के और विनियमीकरण का विरोध

किया था। समिति ने लघु क्षेत्र पर विनियमीकरण के प्रभावों की समीक्षा करने की संस्तुति दी थी। देश में यह काम पहले ही हो चुका है। उसने आगे बताया था कि पिछले दो वर्षों के बजट में सीमा शुल्क को कम किये जाने के फलस्वरूप उद्योगों के लघु क्षेत्र पर बहुत नुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिये विनियमीकरण की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। देश में दरिद्रता कम करने के मामले में उद्योगों के लघु क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करते हुए समिति ने कहा था, “यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है कि केन्द्रीय सरकार के बजट का 0.3 प्रतिशत भाग भी लघु क्षेत्र के लिये नहीं दिया जा रहा।” इसलिये उसने उद्योगों के लघु क्षेत्र के लिये बजट में आवंटित राशि में चार गुणा और खादी एवं ग्रामोद्योग के लिये छह गुणा वृद्धि करने की संस्तुति दी थी।

भारत में श्रमिक आंदोलन को उद्योगों के लघु क्षेत्र के विकास का मामला और अधिक रोजगारों का सृजन करने तथा देश में आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था का विकास करने के एक साधन के रूप में अपने हाथ में लेना होगा।

श्रम कानूनों को लागू करने तथा उच्चतम न्यूनतम वेतनों को सुनिश्चित करने का मामला भी श्रमिक संघों के लिये निर्णायक होना चाहिये। इसलिये उद्योगों को श्रम कानूनों की परिधि से बाहर निकालने की कार्रवाई को श्रमिक संघों द्वारा कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तथापि, उद्योगों के लघु क्षेत्र को और अधिक संरक्षण प्रदान करने तथा लघु उद्योग को इकाईयों में श्रमिकों के लिये समुचित कामकाज तथा जीवन स्थितियों को सुनिश्चित बनाने के लिये लघु क्षेत्र के नियोजकों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की भारी आवश्यकता है।

यदि कार्यसमिति इस प्रस्ताव के साथ सहमत हो जाती है तो सी आई टी यू इस दिशा में पहलकदमी कर सकता है और भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में एक नया मोर्चा खोल देने के लिये कदम उठाए जा सकते हैं।

जन वितरण प्रणाली की स्थिति

यद्यपि सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की बात कहता है और पूर्व प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से भाषण देते समय आश्वासन दिया था कि दिल्ली में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले आठ करोड़ लोगों को आधे मूल्यों पर 10-10 किलो अनाज दिया जाएगा। जन वितरण प्रणाली से अभी तक जन साधारण को कोई राहत नहीं मिली। अनेक राज्यों में जन वितरण का कोई समुचित तंत्र भी नहीं है और यह अनाज दूसरे लोगों के पास चला जाता है। पश्चिम बंगाल तथा केरल में प्रभावी जन वितरण प्रणाली है और सभी लोगों को उसका लाभ मिलता है। गरीबी की रेखा से नीचे तथा ऊपर

रहने वाले लोगों की दोनों श्रेणियों में भेद करना कठिन है।

यही नहीं; पहले राशन की दुकानों पर 20 किलो अनाज की आपूर्ति की जाती थी। राशन पर मिलने वाले अनाज में कटौती होने से गरीब लोगों को कठिनाईयाँ झेलनी पड़ेगी और उन्हें अपनी आवश्यकतापूर्ण करने के लिये खुले बाजार से अनाज खरीदने पर विवश होना पड़ेगा और यह अनाज उन्हें अधिक मूल्य चुका कर ही मिलेगा। यह भी एक तथ्य है कि गरीब लोगों का एक भाग जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, को जन वितरण प्रणाली माध्यम से अनाज खरीदने में कठिनाई होगी।

वित्त मंत्री ने खुले रूप में सब्सिडियों का विरोध किया है। वार्शिगटन टाइम्स को दी गई एक भेंटवार्ता में श्री पी. चिदाम्बरम ने कहा था, “जनता का ऐसा एक वर्ग सदा रहेगा जो सब्सिडियों तथा नियुक्त भोजन का आनंद लेता है और हमें इस स्थिति को नियंत्रित करना होगा।”

जन वितरण प्रणाली उस समय तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक उसे पूर्णतया नौकरशाही के हाथों में रखा जाएगा। जनता की सहभागिता तथा जन वितरण प्रणाली पर उसके निरीक्षण बिना यह प्रणाली पूर्वतः कागजों में ही बनी रहेगी। श्रमिक संघों तथा दूसरे जन संगठनों को आवश्यक खरीद अभियान तथा एक विशाल नेट वर्क के माध्यम से अनाज के समुचित वितरण के लिये अभियान चलाना होगा। एफ सी आई जिस पर अनाज की खरीद करने का दायित्व है, स्वयं ही प्रष्टाचार का एक अङ्ग बन चुकी है और माफिया गिरोहों के माध्यम से नियमित रूप से अनाज की चोरी की जाती है।

हमें अन्य अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उन मूल्यों पर जिन्हें गरीब लोग चुका सकें, के लिये भी अभियान चलाना होगा। केवल ऐसा करने से ही जन वितरण प्रणाली गरीब जनता को राहत प्रदान करने का एक प्रभावी साधन बन सकेगी।

बड़े एवं एकजुट संघर्षों की दिशा में

सी आई टी यू के पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में हमारी गतिविधियों की समीक्षा में जहां उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है, वहीं उसकी उर्बलताओं पर भी चर्चा की गई है। यद्यपि हम अपने संघर्षों को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ रचनात्मक कदम उठाते हैं सफल रहे हैं तथापि इन संघर्षों का प्रभाव स्थिति, की चुनौतियों से निपटने के मामले में पर्याप्त नहीं है। यद्यपि विभिन्न कारणों के चलते हमें अपने कुछ कार्यों को करने में कुछ कठिनाई अवश्य हुई है। हम जनता की विशाल से विशाल श्रेणियों को संघर्ष के उन कार्यक्रमों जिन्हें हमने चलाया था, में लाभबंद करने में और सक्रिय भूमिका का निर्वंदन कर सकते थे। हमें स्वीकार करना होगा कि कार्रवाई के सभी कार्यक्रमों में सभी राज्य समितियाँ सक्रिय नहीं रहीं। हमें अपनी इस दुर्बलता को दूर करना होगा ताकि हम जन कार्रवाईयों

को और अधिक प्रभावशाली बना सकें।

इसी अवधि में केन्द्र ने अपनी गतिविधियों को सशक्त बनाने तथा समन्वय में सुधार लाने के लिये कुछ कदम उठाए हैं। तथापि सी आई टी यू को संगठनात्मक रिपोर्ट में दिये गए निदेशों को निश्चित रूप से लागू करना होगा।

देश में श्रमिक वर्ग के संघर्ष का एक नयी लहर चल पड़ी है। सी आई टी यू को इन संघर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रमिक संघों द्वारा अच्छा समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता विभिन्न देशों में अनुभव की जा रही है। सी आई टी यू को इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में अपना योगदान देना होगा।

आने वाले समय में हमें प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने की ओर अधिक ध्यान देना होगा ताकि वे और अधिक ज्ञानवान होकर संगठनात्मक कार्यों का निष्पादन प्रभावी ढंग से कर सकें। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस प्रश्न पर यदा कदा विचार करते रहे हैं किन्तु इस दिशा में हमारी प्रगति अत्यंत दुःखदायी है।

वर्तमान में हमारे कंधों पर और अधिक दायित्वों का बोझ आ पड़ा है। प्रत्येक दिन के व्यतीत होने के साथ यह बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है किन्तु संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम ये दायित्व लेने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछेक कार्यों को हम पूरा नहीं कर सके। वर्तमान में केन्द्र की क्षमताएं अत्यंत सीमित हैं किन्तु इस पर भी वह स्थिति की चुनौतियों का सामना करने के लिये प्रयत्नरत है। इन क्षमताओं में कुछ सीमा तक सुधार लाया जा सकता है। तथापि, केन्द्र में साधियों की संख्या बढ़ाए बिना यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता और जब तक केन्द्र में रह कर काम करने में असमर्थ नेता आगे आकर इन कार्यों को पूरा करने में सहायता नहीं कर सकते तब तक हम अपना काम प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकेंगे।

इसके साथ ही वस्तुपरक स्थितियाँ भी देश में श्रमिक वर्ग के अधिक से अधिक संघर्ष करने के लिये अनुकूल बन रही हैं। श्रमिकों में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है और वे आंदोलनों में भाग लेने के लिये आगे आ रहे हैं। बिगड़ती चली जा रही आर्थिक स्थितियाँ तथा जीवन का गिरता जा रहा वास्तविक स्तर उन्हें संघर्ष के मैदान में कूदने के लिये विवश कर रहा है। श्रमिक वर्ग में एकता की मांग की दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।

हमें इस अवसर का सदुपयोग करना होगा और लाखों-लाख श्रमिकों की संघर्ष के कार्यक्रमों में लामबंद करने के लिये भरसक प्रयास

करना होगा। केवल ऐसा करने से ही श्रमिक वर्ग के समक्ष मुंह बाएं खड़ी समस्याओं एवं मुद्दों पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण किया जा सकेगा।

इससे राष्ट्रीय जन संगठन मंच तथा इन संघर्षों में भाग लेने वाले सभी जन संगठनों की गतिविधियों को सशक्त बनाने में भी सहायता मिलेगी। केवल इन संघर्षों का नेतृत्व करने से ही इन में श्रमिक वर्ग की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है।

□

बोनस सीमा समाप्त करो

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की मांग

पांच केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने प्रधान मंत्री श्री आइ के गुजराल के नाम प्रेषित एक संयुक्त पत्र में बोनस भुगतान अधिनियम पर अध्यादेश जारी करने की मांग की है:

पत्र का प्रारूप इस प्रकार है:

“बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान सीमा पुरानी हो चुकी है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या को बोनस नहीं मिल रहा और अनेक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलते।

श्रमिक वर्ग मांग करता रहा है कि इस कृत्रिम सीमा को समाप्त किया जाए ताकि सभी कर्मचारी बोनस पाने के लिये पात्र बन सकें।

पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मति से बोनस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित सीमा को समाप्त कर देने की मांग की थी। इस समय क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा और उत्सव आ रहे हैं, इसलिये हम मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल एक अध्यादेश जारी करके बोनस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा को समाप्त कर दे।

देश भर में श्रमिक वर्ग के मध्य व्याप्त जबरदस्त असंतोष के दृष्टिगत हम आप से अनुरोध करते हैं कि इसे अत्यावश्यक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मान कर इसका निपटारा करें।”

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में हैं: एम के पंधे (सी आई टी यू), के एल महेन्द्रा (एटक), उमराव मल पुरोहित (एच एम एस), आर वेणुगोपाल (बी एम एस) तथा सी डी सिन्हा (इंटक)।

□